विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429


पत्रांकः– 57 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 06 /09 /2025

वाद संख्या 10 / 2025–26

| | | |
|---|---|---|
| श्री देव सिंह परमार,<br>ग्राम–माणा (बद्रीनाथ धाम)<br>जिला–चमोली। | — | परिवादी |
| | बनाम | |
| अधिशासी अभियंता<br>विद्युत वितरण खण्ड,<br>गोपेश्वर। | — | विपक्षी |
| | कोरम | |
| श्री अर्जुन सिंह बिष्ट<br>श्री सन्तोष डिमरी<br>श्री रघुराज सिंह | | उपभोक्ता सदस्य<br>विधि सदस्य<br>तकनीकि सदस्य |

## निर्णय

1. परिवाद विद्युत मीटर के सन्दर्भ में है। श्री देव सिंह परमार, ग्राम–माणा, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 13.05.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी का विद्युत मीटर कमरे के अन्दर लगा हुआ है जिससे कि विभाग द्वारा उनकी अनुपस्थिति में विद्युत बिल बिना मीटर रीडिंग के दिया जाता है जो बहुत अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 20.06.2025 एवं 05.08.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर कमरे के अन्दर होने के कारण विभाग द्वारा उपभोक्ता को बिना मीटर रीडिंग के बिल दिये गये हैं जो कि संशोधित करने योग्य हैं।

## आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपभोक्ता का विद्युत मीटर सुरक्षित स्थान पर परिसर से बाहर लगाये, तथा वर्तमान मीटर रीडिंग के अनुसार पिछले अनुमानित बिलों को संशोधित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

| | | |
|---|---|---|
| अर्जुन सिंह बिष्ट<br>(उपभोक्ता सदस्य)<br>सदस्य–उपभोक्ता<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL | सन्तोष डिमरी<br>(विधि सदस्य)<br>सदस्य–विधि<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL | रघुराज सिंह<br>(तकनीकि सदस्य)<br>सदस्य–तकनीकि<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL |

## विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

### उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429


पत्रांकः– 58 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 06 / 09 / 2025

वाद संख्या 13 / 2025–26

| | | |
|---|---|---|
| श्री गुलाब सिंह बड़वाल,<br>ग्राम– माणा,<br>जिला–चमोली। | – | परिवादी |
| | बनाम | |
| अधिशासी अभियंता<br>विद्युत वितरण खण्ड,<br>गोपेश्वर। | – | विपक्षी |
| | कोरम | |
| श्री अर्जुन सिंह बिष्ट<br>श्री सन्तोष डिमरी<br>श्री रघुराज सिंह | | उपभोक्ता सदस्य<br>विधि सदस्य<br>तकनीकि सदस्य |

## निर्णय

1. परिवाद विद्युत लाइन के सन्दर्भ में है। श्री गुलाब सिंह बड़वाल, ग्राम–माणा, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 13.05.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी के मकान के ऊपर विद्युत विभाग की लाइन बहुत नीचे हैं, जिससे करन्ट लगने का भय बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 20.06.2025 एवं 05.08.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपभोक्ता की शिकायत विद्युत लाइन से सम्बन्धित है। मंच द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।

## आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

| | | |
|---|---|---|
| अर्जुन सिंह बिष्ट<br>(उपभोक्ता सदस्य)<br>**सदस्य–उपभोक्ता**<br>**उपभोक्ता शिकायत निवारण मच**<br>**कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL** | सन्तोष डिमरी<br>(विधि सदस्य)<br>**सदस्य–विधि**<br>**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**<br>**कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL** | रघुराज सिंह<br>(तकनीकि सदस्य)<br>**सदस्य–तकनीकि**<br>**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**<br>**कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL** |

## विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 59 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांक:– 06/09/2025

वाद संख्या 19 / 2025–26

| | | |
|---|---|---|
| श्री केदार दत्त सती,<br>ग्राम–चमतोली, पो0–कमेड़ा। | – | परिवादी |
| | बनाम | |
| अधिशासी अभियंता<br>विद्युत वितरण खण्ड,<br>गोपेश्वर। | – | विपक्षी |
| | कोरम | |
| श्री अर्जुन सिंह बिष्ट<br>श्री सन्तोष डिमरी<br>श्री रघुराज सिंह | | उपभोक्ता सदस्य<br>विधि सदस्य<br>तकनीकि सदस्य |

### निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री केदार दत्त सती, ग्राम–चमतोली, पो0–कमेड़ा, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 26.06.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी द्वारा नियमित विद्युत बिल जमा करने के बावजूद भी विभाग द्वारा रू0 7.0000 (सात हजार) बकाया दिखाया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 05.08.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 685 वि0वि0ख0च0 / दिनांक 04.08.2025 द्वारा पत्र प्रेषित कर मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने हेतु माह 05 / 2025 तक बीजक की धनराशि रू0 7418 (सात हजार चार सौ अठारह) को संशोधित कर धनराशि रू0 476 (चार सौ छियत्तर) का बीजक प्रेषित कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

| | | |
|---|---|---|
| अर्जुन सिंह बिष्ट<br>(उपभोक्ता सदस्य)<br>सदस्य–उपभोक्ता<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL | सन्तोष डिमरी<br>(विधि सदस्य)<br>सदस्य–तकनीकि<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL | रघुराज सिंह<br>(तकनीकि सदस्य)<br>सदस्य–विधि<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 60 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/ 2025–26, दिनांक:– 06/09 /2025

वाद संख्या 20/2025–26

श्री कल्पेश्वर प्रसाद मंमगाई, पठियालधार, गोपेश्वर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर। — विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

## निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री कल्पेश्वर प्रसाद मंगगाई, पठियालधार गोपेश्वर वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 08.07.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, विभाग द्वारा प्रार्थी का खराब विद्युत मीटर एक वर्ष पूर्व बदल दिया गया था किन्तु मीटर बदलने के बाद भी विभाग द्वारा प्रार्थी को NA के विद्युत बिल दिये जा रहे हैं, जो खपत से अधिक हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 05.08.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 684 वि0वि0ख0च0/दिनांक 04.08.2025 द्वारा पत्र प्रेषित कर मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने हेतु माह 06/2025 तक बीजक की धनराशि रू0 23197 (तेईस हजार एक सौ सतानवे) को संशोधित कर धनराशि रू0 13813 (तेरह हजार आठ सौ तेरह) का बीजक प्रेषित कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

## आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

| | | |
|---|---|---|
| अर्जुन सिंह बिष्ट<br>(उपभोक्ता सदस्य)<br>सदस्य–उपभोक्ता<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL | सन्तोष डिमरी<br>(विधि सदस्य)<br>सदस्य–विधि<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL | रघुराज सिंह<br>(तकनीकि सदस्य)<br>सदस्य–तकनीकि<br>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच<br>कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL |

## विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 61 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 06/09/2025

वाद संख्या 21/2025–26

स्वामी अभयानन्द महाराज,
भारत सेवाश्रम संघ श्री बद्रीनाथ धाम। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

### निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। भारत सेवाश्रम संघ श्री बद्रीनाथ धाम, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 17.07.2025 को व्हाट्सएप के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, विभाग द्वारा प्रार्थी को विगत कई वर्षो से उसकी विद्युत खपत से कई गुना अधिक के विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 05.08.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 686 वि0वि0ख0च0/दिनांक 04.08.2025 द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता को विद्युत बिल प्रतिमाह मीटर रीडिंग के अनुसार ही दिये जा रहे है। जो कि सही है।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल दिये गये हैं। **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि** उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है. मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(**a**) एवं (**b**) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
**सदस्य–उपभोक्ता**
**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL**

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
[illegible]

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
**सदस्य–तकनीकि**
**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL**